न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 16/2021

1. पुरखाराम पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी तलवाडा झील, हनुमानगढ़ हाल चक 8 केजेडी (ए) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजकुमार पुत्र बैजनाथ जाति अग्रवाल निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. लिला देवी पत्नी बैजनाथ जाति अग्रवाल निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. हरिकिशन पुत्र बैजनाथ जाति अग्रवाल निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम चक 8 केजेडी ए का मुरब्बा नंबर 82/40 की 16 बीघा भूमि किला नंबर 1 से 16 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ह। प्रार्थी द्वारा अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज मुरब्बा नंबर 82/32 के किला नंबर 5 में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी के मुताबिक वर्तमान में वह इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन यह रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसलिए यह यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

इस संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुरब्बा नंबर 82/32 के किला नंबर 5 के उत्तर दिशा में 16 फुट चौड़ा स्थाई रास्ता वर्तमान में कायम है। अप्रार्थीगण द्वारा इस रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गई है। मुख्य आपत्ती इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण को मौका मुआयना के समय सूचित नहीं किया गया। दूसरा हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट करने के लिए अधिकृत नहीं है। तीसरा उक्त रिपोर्ट में विवादित जमीन तक पहुंचने के लिए मौजूद [illegible] के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

अप्रार्थीगण का कहना है कि मुरब्बा नंबर [illegible]/44 के किला नंबर 21 से 25 में कटान रास्ता दर्ज है और प्रार्थी [illegible] और 25 से होकर इसी रास्ते तक पहुंचता है। इस तरह से प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। केवल सुविधा के लिए नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 15:17:41 IST
Reason: SelfAttested

अदालत द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा पेश की गई आपत्तियों पर गौर किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा मुख्य तौर पर यह आपत्ती पेश की गई थी कि तहसीलदार रिपोर्ट में factual omission है लेकिन अदालत का मानना है कि क्योंकि अप्रार्थीगण को omission के संबंध में अपना पक्ष रखने का मौका दे दिया गया है इसलिए दोबारा रिपोर्ट करवाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। तहसीलदार रिपोर्ट और अप्रार्थीगण द्वारा पेश की गई आपत्तियों पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 82/32 के किला नंबर 5 में से नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थी का कहना है कि वह वर्तमान में किला नंबर 5 में से होकर गुजर रहा है। हल्का पटवारी द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा जो आपत्ती की गई है उसमें भी इस तथ्य को refute नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण की आपत्ति यह है की प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नंबर 82/40 के किला नंबर 25 से होकर भी रास्ता मौजूद है। अप्रार्थीगण की आपत्ति पर भी गौर किया गया। अदालत का मानना है कि अगर किला नंबर 25 में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो भी किला नंबर 5 में नया रास्ता स्वीकृत किया जाना गैरकानूनी नहीं होगा क्योंकि किला नंबर 25 में मौजूद अभिकथित रास्ता भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसलिए किला नंबर 25 में मौजूद रास्ते को वैकल्पिक रास्ता नहीं माना जा सकता और ना ही यह कहा जा सकता कि प्रार्थी केवल सुविधा के लिए किला नंबर 5 में रास्ता मांग रहा है इसलिए धारा 251 ए कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा नंबर 82/32 के किला नंबर 5 की उत्तरी सीमा के साथ साथ (दंतोर खाजूवाला सड़क से लेकर किला नंबर पांच की की पश्चिमी सीमा तक) 16.5 फिट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थीगण फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 16:17:41 IST
Reason: SelfAttested